न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 08 / 2013
प्रविष्टि दिनांकः— 24—05—2013

लालाराम पुत्र भूरा जाति रेगर निवासी गनवर तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0।

..... प्रार्थी

बनाम

1—किशनी पुत्री गोपाल जाति जाट निवासी गनवर तहसील मालपुरा
2—भू—आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा

.....अप्रार्थीगण

प्रकरण संख्याः— 19 / 2012
प्रविष्टि दिनांकः— 02—06—2012

लालाराम पुत्र भूरा जाति रेगर निवासी गनवर तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0।

..... प्रार्थी

बनाम

1— किशनी पुत्री गोपाल जाति जाट निवासी गनवर हाल निवासी केरिया तह0 मालपुरा जिला टोंक राज0।
2—भू—आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवण्टन अधिनियम 1970
विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 25.06.1996

उपस्थित : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन / पवन कुमार जैन, अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्रीमति रमा चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

निर्णय

दिनांक 02—06—2017

1— दोनो प्रार्थना पत्रो के तथ्य समान रूप से होने पर दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी का सार इस प्रकार है कि भू—आवण्टन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने दिनांक 25—06—1996 को अप्रार्थी संख्या 1 किशनी पुत्री गोपाल जाति जाट निवासी गनवर तहसील मालपुरा को आराजी खसरा नम्बर 2164 / 1 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम गनवर आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है जो विधि एवं नियम विरूद्व होने के कारण निरस्त योग्य है।

2— प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये नोटिस तलबी की गई एवं आवण्टन पत्रावली मंगवाई गई।

3— प्रार्थी द्वारा दस्तावेजात में प्रतिलिपी आदेश आवण्टन 25.06.1996 / 17.03.1963 मय सुपुर्दगीनामा व नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति प्रस्तुत की है। अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

4— बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि ख0नं0 2164 में तहसीलदार मालपुरा द्वारा दिनांक 17.03.1963 को प्रार्थी के पिता के पक्ष में आवंटन कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तब से ही प्रार्थी का पिता भूरा पुत्र सुखदेवा निवासी गनवर उक्त आवंटन शुदा भूमि पर काश्तकार के रूप में काबिज रहकर काश्त करने लग गया था तथा उक्त भूमि की खातेदारी पहले भूरा पुत्र सुखदेवा के नाम दर्ज की जा चुकी थी। भूरा का देहान्त होने के बाद से लेकर आज तक प्रार्थी उक्त भूमि पर काश्तकार की हैसियत से काबिज है और काश्त कर रहा है इस प्रकार एक बार आवंटन शुदा भूमि होने से उक्त भूमि का पुनः अन्य के हक में किसी प्रकार आवंटन नहीं किया जा सकता है, प्रतिपक्षी सं01 के हक में किया गया आवंटन पश्चातवर्ती आवंटन है। आवंटन के दिन उक्त खसरा नंबर में कोई भूमि आवंटन के लिए मौके पर उपलब्ध नहीं थी, बल्कि 1963 से ही उक्त भूमि पर पहले प्रार्थी के पिता का व उसके बाद प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है इस कारण प्रतिपक्षी सं01 का उक्त भूमि पर कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, नियमानुसार प्रतिपक्षी सं01 द्वारा काश्त नहीं की है, आवंटन शर्तो का उल्लंधन हुआ है, प्रार्थी अनुसूचित जाति का भूमिहीन गरीब काश्तकार है, प्रतिपक्षी भूमिहीन भी नहीं है क्योंकि उसके पति व ससुर के खाते में अत्यधिक भूमियां मौजूद है, आवंटन से पहले आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पटवारी हल्का से उक्त भूमि की मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की तथा कब्जे के संबंध में जांच भी नहीं की और चुपचाप राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत से आवंटन आदेश पारित किया गया है जो प्रार्थी के हितो व कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने व भूमि आवंटन योग्य नहीं होने से चलने योग्य नहीं है और निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त आवण्टन गलत होने से अप्रार्थी सं01 को किया गया आवण्टन निरस्त फरमाया जावे।

5— विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि आवंटित भूमि अप्रार्थी सं0 1 को उक्त भूमि का किया गया आवंटन करने का आदेश पारित किया है वह विधि अनुकुल व वैधानिक रूप से नियमानुसार किया गया है, हैरान परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, आराजी ख0नं0 2164 एक बहुत बडा रकबा होने से आवंटन के बाद सुपुर्दगी के समय उक्त ख0नं0 की तरमीम करके ख0नं0 2164/1/4 रकबा 3 बीघा से प्रार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है, आवंटन समिति ने भूमिहीन काश्तकार व मौके की स्थिति की जांच कर पटवारी हल्का की रिपोर्ट लेकर उक्त बडे रकबे में से बची हुई आराजी का आवंटन कर मौके का कब्जा सुपुर्द किया, तब से ही जवाब दाता उक्त भूमि पर काश्त करती चली आ रही है जिसका गिरदावरी में गश्त होना अंकित है, अप्रार्थीया भूमिहीन काश्तकार होने के कारण पटवार हल्का की पूर्ण रिपोर्ट व मौके की जांच के आधार पर ही गरीब महिला होने से उक्त आराजी मौके पर होने से ही आवंटन की थी, आवंटन अधिकारियों ने आवंटन से पूर्व प्रोक्लोमेशन जारी किया है, आवेदन आने के बाद प्रतिपक्षी की वास्तविक स्थिति की जांच कर आराजी की पटवार हल्का से वास्तविक रिपोर्ट आने के बाद जब मौके पर पर्याप्त आराजी होने पर ही वैधानिक रूप से पूर्ण कोरम की उपस्थिति में गरीब महिला को सम्पूर्ण नियमों का पालन करते हुए आवंटन कर कब्जा सुपुर्द किया गया है। भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से आवण्टन अप्रार्थीयां के हक में किया गया है, प्रार्थी द्वारा आवेदन गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है, खारिज फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

6– हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, मूल आवंटन पत्रावली एवं बहस उभयपक्ष का ध्यानपूर्वक अवलोकन, मनन एवं परिशीलन किया। भू–आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25–06–1996 को अप्रार्थी संख्या 1 किशनी पुत्र गोपाल जाति जाट निवासी गनवर तहसील मालपुरा को आराजी खसरा नम्बर 2164/1 रकबा 3.00 हे0 भूमि वाके ग्राम गनवर का आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है। प्रार्थी ने इस आवण्टन को इस आधार पर निरस्त कराना चाहा है कि विवादित भूमि खसरा नं0 2164 में तहसीलदार मालपुरा द्वारा दिनांक 17.03.63 को प्रार्थी के पिता भूरा के पक्ष में आवंटित की जाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था जिस पर उसके पिता व उनकी मृत्यु उपरान्त भूमि पर प्रार्थी का लगातार आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है, किन्तु प्रार्थी द्वारा अपने पिता अथवा स्वयं के कब्जे काश्त के सम्बन्ध में कोई सबूत दस्तावेजात पेश नहीं किये है, अपने पिता को खातेदारी दी जा चुकी है यह तथ्य प्रार्थी सिद्व करने में असमर्थ रहे है, भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध होने पर ही अप्रार्थीया को आवंटन किया गया है जिसके संबंध में आवण्टन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिपक्षी सं01 के द्वारा विधिवत रूप से भूमि आवण्टन हेतु प्रार्थना पत्र भरकर पेश किये जाने पर ही पटवारी हल्का के द्वारा भी प्रतिपक्षी सं01 की भूमि के बारे में रिपोर्ट की गई है जो बरवक्त आवण्टन भू आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष मोजूद थी। आवण्टन की सिफारिश पटवारी हल्का, गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा की गई है। राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवायचाक थी ओर अप्रार्थी को भी इसी भूमि में से आवण्टन दिनांक 25–06–1996 को ही आवण्टन नियमो अनुसार पूर्ण कोरम होने पर किया गया है। प्रतिपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गुपचुप तारीके से आवंटन किया गया है, ये तथ्य भी प्रार्थी द्वारा सिद्व नहीं करने असमर्थ रहे है। प्रार्थी बरवक्त आवण्टन मौके पर मोजूद था ओर यदि उसे प्रश्नगत आवण्टन के बाबत कोई आपत्ति थी तो वह आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हैतु स्वतंत्र था लेकिन प्रार्थी ने मौके पर कोई आपत्ति प्रस्तुत किया जाना सिद्व नहीं है। आवंटित भूमि का सुपुर्दगीनामा भी प्रतिपक्षी सं01 को दिया जा चुका है। आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं है इस बारे में भी प्रार्थी द्वारा कोई सबूत दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2069 में अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि अप्रार्थी किशनी पुत्री गोपाल जाट सा0 देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है व अप्रार्थी द्वारा गश्त किये जाने का अंकन है। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि पर कब्जे काश्त होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। यदि प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा भी है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत ही रखता है तथा अतिक्रमित भूमि आवण्टन योग्य मानी गई है। उक्त आवण्टन में कोई त्रूटि दृष्टिगोचर प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी पर्याप्त सबूतो के अभाव में सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

आदेश

7. फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति हमफीता पत्रावली सं0 19/12 में संलग्न की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 02.06.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner